सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

	12 आषाढ़, 1942 (श०)
संख्या- 314 राँची, शुक्रवार,	3 जुलाई, 2020 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखंड वनोपज, (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020

अधिसूचना

29 जून, 2020

संख्या-06/रा.व्या.-02/2020- 1715 -- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (16, 1927) की धारा-41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर सभी पिछले नियमों को अवक्रमित करते हुए झारखण्ड राज्यपाल द्वारा वनोपज के, सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग एवं अन्य माध्यम से अभिवहन को विनियमित करने के लिए निम्न नियमावली बनाते हैं:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम- यह नियमावली झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 कही जाएगी ।

2. यह नियमावली संपूर्ण झारखंड राज्य में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

3. **परिभाषाएं:-**

(क) **वनोपज**-भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2(4)(b) में जैसा परिभाषित है।

(ख) **वनभूमि** से अभिप्रेत है दिनांक 25.10.1980 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि जो जंगल या इसके अन्य प्रचलित नाम यथा जंगलझाड़ी, (Deemed Forest), साखु जंगल इत्यादि के रूप में दर्ज है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत

घोषित सुरक्षित वन, आरक्षित वन एवं अन्य किसी लागू अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के रूप में अधिसूचित।

(ग) वन प्रमण्डल पदाधिकारी से अभिप्रेत है विभिन्न प्रादेशिक वन प्रमण्डल के प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं सभी वन्य प्राणी प्रमण्डलों के प्रभारी उप वन संरक्षक/उप निदेशक/वन प्रमण्डल पदाधिकारी ।

(घ) **काष्ठ** से अभिप्रेत है लकड़ी का कोई टुकड़ा, जो ईंधन के रूप से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यवहृत किए जाने के लिए अभिप्रेत हो या जो सामान्यतः व्यवहृत होता हो, खासकर सभी चिरी की गई लकड़ियां, चाहे वे किसी भी जाति के वृक्ष या किसी भी आकार की हो अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए कुल्हाड़ी या किसी अन्य औजार से काट या छील कर तैयार की गई हो, या मोटे छोर पर छाल छोड़कर नापने से जिसका व्यास 7 से0मी0 से अधिक हो, काष्ठ के अंतर्गत बांस एवं केन भी है ।

(ड) **खनिज:-** खनिज से अभिप्रेत है, लघु एवं वृहद् खनिज, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट तथा गैस भी सम्मिलित हैं ।

(च) **"जलावन"** की लकड़ी से अभिप्रेत है काष्ठ से भिन्न लकड़ी के ऐसे टुकड़े, जो जलाने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो,

(छ) **"सबई घास"** के अंतर्गत सबई घास से बनी डोरियां या रस्सियां भी हैं,

(ज) **"कत्था"** से अभिप्रेत है कत्था, और खैर के पेड़ों के अंतःकाष्ठ (सारिल) से निकाले गए सभी प्रकार के पदार्थ,

(झ) **"गोंद और राल"** से अभिप्रेत है, सलई, पियार, केवड़ी, बीजा साल, बबूल, खैर, साल धावड़ा और ऐसे अन्य जाति के पेड़ का प्राकृतिक निश्राव, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे,

(ञ) **'बीज और फल'** से अभिप्रेत है साल के बीज, चाहे वे पांख (वींग) सहित हों या रहित अथवा उसका छिलका उतारी हुई, गिरी तथा आंवला, हर्रे, बहेरा, कुसुम, पियार के बीज की गिरी महुआ बीज, आकाशपौनी, (अकेशिया औरीकुली फोमिस) और ऐसे अन्य फल और जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें।

(ट) **'जड़'** से अभिप्रेत है सर्पगंधा, अनंतमूल, खैर एवं ऐसे अन्य पादपों की जड़ जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें।

(ठ) **'छाल'** से अभिप्रेत है सोनारी की छाल (कैसिया फिसचुला की छाल), अर्जुन और महुलान (बोहिनियाँ जाति) की छाल एवं इसके छाल से बनी रस्सियाँ तथा ऐसी अन्य प्रजातियों की छाल जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें।

(ड) **'विनियर'** का अर्थ है लकड़ी की ऐसी छिली पट्टी जिसकी मोटाई 10 मि0मी0 से अधिक हो।

(ढ) **'प्लाईवुड'** का अर्थ है लकड़ी की ऐसी छिली हुई पट्टी जिसकी मोटाई 10 मि0मी0 से अधिक हो अथवा लकड़ी की परतों या विनियर एवं अन्य पादन सामग्री को चिपकाकर या बनायी गयी समतल पट्टी।

(ण) **'वन चेक पोस्ट'** का अर्थ है, वनोपज की जाँच हेतु स्थापित चेक पोस्ट।

(त) **'वाहन'** के अन्तर्गत है, वे सभी मोटरचालित या अन्य प्रकार से चालित प्रणालियाँ, जो वनोपज को सड़क, रेल, वायु मार्ग, जलमार्ग एवं अन्य माध्यम से लाने ले जाने के लिए व्यवहार में लायी जाती है।

(थ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 में अंकित अन्य भी परिभाषाएँ इस नियमावली के लिए लागू समझी जायेंगी।

(द) कोयले से अभिप्रेत है, पीट (Peat), लिगनाईट (Lignite), बिटुमिनस (Bituminous) एवं एन्थ्रासाईट (Anthracite) कोयले की विभिन्न किस्मे जिसमें हार्ड कोक (Hard coke), सॉफ्टकोक (Soft coke), ब्रिकट्स (Briquetes) एवं विभिन्न प्रकार जहाँ कोयले की प्राकृतिक विशेषताये में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

4. वनोपज का आयात, निर्यात या हटाया जाना:-किसी भी वनोपज को झारखण्ड राज्य की सीमा में या उसके बाहर या उसके भीतर इस नियमावली में संलग्न परिवहन अनुज्ञा-पत्र (ट्रांजिट परमिट) अनुसूची "ग एवं च" में निर्धारित प्रपत्रों के बिना हटाया/परिवहन नहीं किया जा सकेगा।

परन्तु कोई भी परिवहन अनुज्ञा पत्र निम्नांकित पर लागू नहीं होगा:-

(क) कोई भी वन उपज को जो किसी ऐसे व्यक्ति दवारा, किसी ऐसे ग्राम की सीमा के भीतर जिसमें यह पैदा हुई हो, राज्य सरकार दवारा इस निमित्त दिए गए विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए या इस अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार को प्रयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उपयोग के लिए हटाई जा रही है।

(ख) ऐसे वन उपज को, जिसे राज्य सरकार दवारा राजपत्र में अधिसूचना दवारा इस नियमावली से विमुक्त किया गया है।

(ग) लघु वन उपज को, वन से स्थानीय बाजार को या संग्रहण केन्द्र या घरेलू उपयोग के लिए।

<u>5. परिवहन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकार-</u>इस नियमावली के तहत् परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी अथवा उनके दवारा प्राधिकृत पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे।

<u>6. परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए शुल्कः-</u> राज्य सरकार दवारा समय-समय पर परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के लिए शुल्क निर्धारित अथवा पुनःरीक्षित किया जा सकेगा। यह शुल्क सरकारी कोषागार में उचित शीर्ष के अधीन जमा किया जायेगा। विभिन्न वनोपज के लिए निर्धारित शुल्क अनुसूची "क" के अनुरूप होगा।

<u>7. प्रत्येक लोड के लिये पृथक परिवहन अनुज्ञा-पत्र:-</u>किसी भी परिवहन अनुज्ञा-पत्र में एक से अधिक वाहन सम्मिलित नहीं होगा। प्रत्येक वाहन के लये अलग-अलग परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

<u>8. परिवहन अनुज्ञा पत्र को बिगाड़ा नहीं जायेगा:</u>- परिवहन अनुज्ञा-पत्र में मार्ग एवं कालावधि को छोड़कर मुद्रित पर लिखित किसी बात में कोइ परिवर्तन नहीं किया जायेगा और यह केवल किसी वन पदाधिकारी दवारा जो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से निम्न पद श्रेणी का न हो, किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किया जा सकेगा।

<u>9. वनोपज के आयात हेतु निबंधन:</u>

(i) कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान, जो झारखण्ड राज्य में वनोपज, खनिज को छोड़कर आयात करने की मंशा रखता है, स्वयं को संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित करायेगा, जहाँ वन उपज का परिवहन किया जाना है। आवेदन अनुसूची-"ख" के प्रपत्र-1 में समर्पित किया जा सकेगा।

(ii) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, निबंधन के लिये आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और आवेदक दवारा रू0 500 का भुगतान कर दिये जाने पर "अनुसूची-'ख' के प्रपत्र-2" में निबंधन प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा।

(iii) निबंधन प्रमाण पत्र निष्पादित करने का अधिकतम समय 15 कार्य दिवस होगा।

(iv) निबंधन कैलेण्डर वर्ष के लिये मान्य होगा।

(v) निबंधन की सूचना वन चेक पोस्ट को दी जायेगी।

(vi) वनोपज को आयात करने वाला व्यक्ति/संस्थान प्रत्येक तिमाही का लेखा "अनुसूची-'ख' के प्रपत्र-3" में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा।

10. वन चेक पोस्ट:-

(i) वनोपज का परिवहन स्थापित वन चेक पोस्ट होकर ही एक स्थान से दुसरे स्थान तक हटाया जा सकेगा। वन चेक पोस्ट पर वनोपज ढो रहे वाहन की वन चेक पोस्ट पर रक्षित पंजी में प्रविष्टि अंकित की जायेगी, जिस पर वन चेक पोस्ट स्थापित है, को छोड़कर, या इससे बच निकलकर वनोपज का परिवहन विधिपूर्ण नहीं होगा।

(ii) पारगमन होते समय वनोपज की जाँच होने के पश्चात् जाँच करने वाले पदाधिकारी अथवा वन चेक पोस्ट के प्रभारी पदाधिकारी ऐसा उत्पादन ठीक पाये जाने की दशा में परिवहन अनुज्ञा-पत्र की पीठ पर समय एवं तिथि सहित अपना पूरा नाम हस्ताक्षर एवं पदनाम पृष्ठांकित कर देगा और पारगमन जारी रखने की अनुमति दे सकेगा। वन चेक पोस्ट पर की गयी जाँच के बाद पारगमन जारी रखने की अनुमति की दशा में वन चेक पोस्ट के प्रभारी द्वारा संधारित पंजी में परिवहन अनुज्ञा-पत्र के विवरण की प्रविष्टि पारगमन के समय एवं तिथि के साथ कर दी जायेगी।

(iii) वन पथों पर अवस्थित वन चेक पोस्ट साधारणतः सूर्यास्त के एक घण्टा पश्चात् से लेकर सूर्योदय तक बन्द किये जा सकेगें और बन्द रहने की दशा में वन चेक पोस्ट पार करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

11. खनिज पदार्थों को छोड़कर अन्य वनोपज के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया-

(क) अनुज्ञा-पत्र का निर्गत करना:-

(i) राज्य की सीमा के भीतर वनोपज के परिवहन हेतु विहित शुल्क लेकर परिवहन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली की अनुसूची-'ग' के प्रपत्र-'1' में जारी किया जा सकेगा।

(ii) राज्य की सीमा से बाहर वनोपज के परिवहन हेतु विहित शुल्क लेकर परिवहन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली की अनुसूची-'ग' के प्रपत्र- '2' में जारी किया जा सकेगा, परन्तु इस निमित्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के निम्न स्तर के पदाधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया जा सकेगा।

(iii) इस नियमावली के अधीन निर्गत किये जा सकने वाले सभी परिवहन अनुज्ञा-पत्र मात्र एक प्रति में निर्गत पदाधिकारी के हस्ताक्षर तथा तिथि के साथ निर्गत किये जा सकगें। दूसरी प्रति कार्यालय प्रति हो सकेगी। परिवहन अनुज्ञा-पत्र के उपयोगकर्ता द्वारा मूल प्रति उपयोग के कम से कम छः माह तक सुरक्षित रखना होगा और इस अवधि में वनपाल (फोरेस्टर) एवं उनसे वरीय पदाधिकारी द्वारा माँगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(iv) वनोपज मोटर चालित वाहन से होने की दशा में प्रत्येक परिवहन अनुज्ञा-पत्र की पीठ पर निर्गत पदाधिकारी से भिन्न किसी वन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर तिथि एवं समय अंकित करते हुए यह प्रमाण-पत्र अंकित करना होगा कि काष्ठ का लादान उनके समक्ष किया गया है।

(ख) सम्पत्ति चिन्ह का निबंधन:-

(i) काष्ठ की दशा में किसी स्थान से इसका निर्यात या हटाये जाने के दौरान इसका स्वामित्व सम्पत्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जायेगा, परन्तु काष्ठ से भिन्न, वन उत्पाद पर कोई सम्पत्ति चिन्ह अपेक्षित नहीं होगा। बाँस और केन (बेंत) पर भी सम्पत्ति चिन्ह अपेक्षित नहीं होगा।

(ii) सभी सम्पत्ति चिन्ह वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय निबंधित होगें।

(vii) राज्य में सम्पत्ति चिन्ह के निबंधन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा शुल्क का समय-समय पर निर्धारण किया जायेगा। यह शुल्क सरकारी कोषागार में उचित शीर्ष के अधीन जमा किया जायेगा।

(iii) सम्पत्ति चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण शुल्क सम्पत्ति चिन्ह की पाँच प्रतिकृतियाँ (फैसिमाईल) दी जायेगी। इसमें काष्ठ के उद्‌गम की विशिष्टियाँ, लगभग परिमाण, गंतव्य स्थान और ले जाये जाने का मार्ग बताये रहेगें।

(iv) यदि वन प्रमंडल पदाधिकारी समझें कि ऐसे सम्पत्ति चिन्ह और सरकारी या अन्य सम्पत्ति चिन्ह के बीच भेद नहीं किया जा सकता अथवा किसी अन्य कारण से जो अभिलिखित कर दिए जायेगें, वह रजिस्ट्रीकरण से इन्कार या इसे रद्द कर सकता है।

<u>12. रैयती भूमि पर उगे वृक्षों से प्राप्त काष्ठ हटाने की प्रक्रिया:-</u> रैयती भूमि पर उगे वृक्षों के काष्ठ परिवहन के लिए किसी रैयत को नियम-11 के अधीन परिवहन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नवत् प्रक्रिया होगी:

इस गजट की अधिसूचना की तिथि के पश्चात् रैयती भूमि पर उगे वृक्ष के पातन के पूर्व काष्ठ के परिवहन के लिए रैयत द्वारा इस प्रक्रिया के उल्लंघन में ऐसे काष्ठ का परिवहन विधि मान्य नहीं होगा।

(i) ऐसी भूमि के रैयत जिनका नाम राजस्व पंजी में दर्ज है, एवं अपनी रैयती भूमि पर खड़े वृक्षों पर पातन एवं निष्कासन हेतु इच्छुक हो, इस नियमावली की अनुसूची- 'घ' के **प्रपत्र- '1'** में एक आवेदन राजस्व विभाग के संबंधित अंचल पदाधिकारी को दे सकेगें। अंचल पदाधिकारी इस बिन्दु पर जाँच कर एक माह के अन्दर आश्वस्त हो सकेगें कि आवेदनकर्ता वर्णित भूमि के वास्तविक रैयत है एवं तत्पश्चात् आवेदित भूमि पर खड़े आवेदित वृक्षों पर क्रमांक अंकित करते हुए राजस्व अंचल कार्यालय में इस हेतु उपलब्ध सम्पत्ति चिन्ह वाला हथौड़ा प्रत्येक वृक्ष के तना पर जमीन से क्रमशः 15 से0मी0 एवं 120 से0मी0 की ऊँचाईयों पर अंकित करने के पश्चात् **प्रपत्र- '1'** में आवेदित वृक्षों के जमीन से 120 से0मी0 ऊँचाई पर तनों की छाल सहित मापी सूची के साथ आवेदन की जाँचोपरान्त अनुशंसा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय को समर्पित कर सकेगें जो इस संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को अग्रसारित कर सकेगें।

(ii) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी आवेदन में दी गई सूचनाओं की जाँच कराकर अन्य के अतिरिक्त यह आश्वस्त होकर कि अमुक वृक्ष वन सीमा के बाहर है **प्रपत्र- '1'** में मापी सूची के साथ आवेदन की जाँचोपरान्त अनुशंसा 15 दिनों के भीतर वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेज देगें। अंचल पदाधिकारी एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की अनुशंसाओं के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी रैयत के पक्ष में जाँच में सहीं पाये गए वृक्षों के पातन की स्वीकृति एक सप्ताह में दे सकेगें। इसके साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी रैयत से विहित शुल्क लेकर रैयत का निजी सम्पत्ति चिन्ह भी पंजीकृत कर सकेगें। वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुमति एवं रैयत का निजी सम्पत्ति चिन्ह की सूचना प्राप्ति के पश्चात वनों के क्षेत्र पदाधिकारी ऐसे वृक्षों पर विभागीय सम्पत्ति चिन्ह अंचल पदाधिकारी द्वारा लगाए गए चिन्ह

के बगल में अंकित कर देगें तथा यह निरीक्षण करा लेगें कि रैयत का निजी सम्पत्ति चिन्ह भी उन वृक्षों पर बगल में अंकित हो। इसके पश्चात् वह संबंधित रैयत को वृक्षों के पातन एवं लौगिंग की अनुमति सूचित कर सकेगें।

(iii) राज्य में निजी सम्पत्ति चिन्ह के निबंधन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुल्क का समय-समय पर निर्धारण किया जायेगा। यह शुल्क सरकारी कोषागार में उचित शीर्ष के अधीन जमा किया जायेगा।

(iv) संबंधित रैयत वन क्षेत्र पदाधिकारी से ऐसी अनुमति पाने के उपरान्त ऐसे वृक्षों का पातन एवं लौगिंग कर सकेगा तथा लौगिंग से प्राप्त प्रत्येक टुकड़े पर लौग क्रमांक एवं वृक्ष क्रमांक तथा अपना निजी सम्पत्ति चिन्ह अंकित कर लम्बाई एवं गोलाई की मापी कराकर सभी टुकड़ों को पातित वृक्ष के समीप ही भूमि पर स्टैक कराकर मापी सूची वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। पातन के समय रैयत यह सुनिश्चित् करेगा कि वृक्ष के तना के निचले हिस्से पर लगाये गये सभी सम्पत्ति चिन्ह सुरक्षित रहें।

(v) उपर्युक्त रीति से मापी सूची प्राप्तोपरान्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारी मापी सूची में सूचना से निरीक्षणोपरान्त आश्वस्त होकर वन प्रमंडल पदाधिकारी को परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा भेज सकेगें, जिसके आधार पर वन पदाधिकारी उपर्युक्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की अनुमति दे सकेगें। तत्पश्चात् वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा यथा अनुसूची-'ख' में वर्णित विहित प्रपत्र में विहित शुल्क प्राप्ति के पश्चात् परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

13. खनिज के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करना

(i) झारखण्ड राज्य की सीमा के अंदर या बाहर खनिज के परिवहन हेतु लीज धारक/खनन क्षेत्र के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नियमावली की "अनुसूची-'च' के प्रपत्र-1" में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित किया जा सकेगा।

(ii) वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की सम्यक जांचोपरान्त अधिकतम 7 दिनों में खनिज के परिवहन हेतु **"अनुसूची-'च' के प्रपत्र-2"** में अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उक्त अनुमति के पश्चात् लीज धारक/खनन क्षेत्र के प्राधिकृत व्यक्ति को परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के लिये वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(iii) अनुमति प्रदान की गयी खनिज के परिवहन हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा "अनुसूची-'च' के प्रपत्र-3" में परिवहन अनुज्ञा-पत्र किया जा सकेगा। इस निमित्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित परिवहन अनुज्ञा-पत्र की पुस्तिका उन्हें उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(iv) खनन क्षेत्र में अंश वनभूमि होने पर खननकर्त्ता द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को प्रत्येक माह खनन प्रतिवेदन के आधार पर अनुपातिक मात्रा में वन भूमि में खनन मानते हुए अनुज्ञा पत्र शुल्क की वसूली की जायेगी।

(v) इस नियमावली के अन्तर्गत मात्र वैसे ही व्यक्ति/संस्थान/कम्पनी/एजेन्सी को परिवहन अनुज्ञा पत्र किया जा सकेगा, जिन्हे खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules 1959 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2019 के तहत

खनन पट्टा स्वीकृत या अनुज्ञापत्र स्वीकृत की गई हो एवं उन्हें अर्हताओं को पूरा करने के पश्चात खनिज के उत्पादन एवं प्रेषण का अधिकार प्राप्त हो।

(vi) यदि किन्ही कारणों से खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वीकृत पट्टाधारी एवं अनुज्ञप्तिधारी को खनिज के उत्पादन/प्रेषण पर रोक लगायी जाती है, तो उन्हें परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा।

<u>14. Online परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करना</u>

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् वनोपज के लिये परिवहन अनुज्ञा-पत्र मात्र online portal के माध्यम से ही जारी किया जा सकेगा।

15.इस नियमावली के तहत् विभिन्न स्तर पर कार्य निष्पादन की अधिकतम समय सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।

<u>16 अनुज्ञा-पत्र की जाँच</u>

(i) एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच पारगमन के क्रम में वनोपज किसी भी स्थान पर किसी वन पदाधिकारी या आरक्षी विभाग के अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पदाधिकारी के द्वारा जाँचा जा सकेगा और **नियम- '11, 12 एवं 13'** में विनिर्दिष्ट परिवहन अनुज्ञा-पत्र इस पदाधिकारी द्वारा माँगे जाने पर दिखाया जायेगा।

(ii) जाँच के दौरान वनोपज परिवहन अनुज्ञा-पत्र में लिखे परिमाप से कम हो जाय या बढ़ जाय या वर्णन से भिन्न हो जाय, तथा काष्ठ की दशा में सम्पत्ति चिन्ह भिन्न हो जाँच पदाधिकारी, वाहन सहित वनोपज से संबंधित परिवहन अनुज्ञा-पत्र तथा पारगमन से संबंधित व्यक्तियों को रोककर भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकेगा।

<u>17. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति:-</u>इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग समय-समय पर परिपत्र जारी कर दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।

<u>18. दण्ड:-</u>इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करनेवाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन दण्ड का भागी होगा। इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन के क्रम में जप्त किसी सम्पत्ति के अधिकरण या अन्य प्रकार से निबटारा राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन की जाएगी।

<u>19. निरसन:-</u>इस नियमावली के प्रवत्त होने पर, इस नियमावली के लागू होने के ठीक पूर्व झारखण्ड राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवत्त इस नियमावली के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जायेंगे।

परन्तु इस प्रकार निरसित किसी भी नियमावली के अधीन की गई कार्रवाई के बारे में जब तक कोई कार्रवाई इस नियमावली के किसी उपबंधों के असंगत न हो, यह समझा जायेगा कि वह इस नियमावली के उपबंधों के अधीन की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुसूची-'क'

झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2000 के नियम 6 के प्रदत्त शक्तियों के आलोक में एतद् द्वारा निम्नांकित वनोपज के लिये परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए निम्नांकित शुल्क निर्धारित किया जाता है:

क्र.	वनोपज का नाम	निर्धारित देय शुल्क
1.	लाईम स्टोन, डोलोमाईट, फायर क्ले, मैंगनीज अयस्क, कॉपर अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड, सोना अयस्क, कैलासाईट, शैल, स्लेट, सोप स्टोन, डायस्पोर, रॉकफॉरेस्ट, पायरो फिलाईट, काईनाईट, फेल्सपार	57 रूपये प्रति मेट्रिक टन
2.	ग्रेनाईट, मार्बल, गिट्टी, पत्थर, बालू, मुरम, मिट्टी	35 रूपये प्रति घन मीटर
3.	टिम्बर	100 रूपये प्रति घन मीटर
4.	जलावन	25 रूपये प्रति घन मीटर

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव

झारखण्ड राज्य में वनोपज (खनिज को छोड़कर) आयात के लिए निबंधन हेतु

आवेदन पत्र

अनुसूची-"ख"

प्रपत्र-1

1. वनोपज के आयातकर्त्ता का नाम:
2. वनोपज के आयातकर्त्ता का पूरा पताः
3. आयात किए जाने वाले वनोपज का विवरण:
    - (क) देश/राज्य यहाँ से वनोपज का आयात किया जाना है:
    - (ख) आयात की जानेवाली वनोपज का नाम एवं अनुमानित मात्रा:
    - (ग) आयात का परिवहन साधन एवं मार्ग:
    - (घ) शुल्क जमा करने का विवरण:
4. डिपो का नाम, पता एवं निबंधन संख्या:

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर मोहर

सहित:

नोट- पंजीयन शुल्क मात्र 500 रूपये है।

दिनांक-..

सेवा में,

....

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

....

प्रमण्डल।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड राज्य में वनोपज के आयात का पंजीयन प्रमाण पत्र

अनुसूची-"ख"

प्रपत्र-2

1. जारी करने वाले प्रमण्डल का नाम:
2. निबंधन पत्र जारी करने का पत्रांक एवं दिनांक-
3. वनोपज के आयात कर्त्ता का पूरा नाम:
4. वनोपज के आयात कर्त्ता का पूरा पता:
5. गंतव्य स्थान का नाम एवं पता:
6. आयात की जाने वाली वनोपज का विवरण:
7. मार्ग जिससे गंतव्य स्थान तक वनोपज का परिवहन किया जायेगा -
8. निबंधन की कालावधि -

पंजीयन करनवाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं

मोहर

483

अनुसूची-ख

प्रपत्र-3

त्रैमासिक प्रतिवेदन

1. वनोपज आयात करने वाले का नाम एवं पताः

2. पंजीयन की तिथि-

3. पंजीयन वैद्धता की तिथि-

....से.. के दौरान आयातित तथा खपत काष्ठ का तिमाही लेखा

विगत तिमाही का अवशेष दिनांक-				तैमाही में आयातित काष्ठ की मात्रा			कुल उपलब्ध काष्ठ			लट्ठा से चिरान में converted			उपयोग किए गए काष्ठ की विवरणी			तिमाही के अंत में शेष			अभ्युक्ति
प्रजाति	लट्ठा		चिरानघन मीटर	लट्ठा		चिरानघन मीटर	लट्ठा		चिरानघन मीटर	लट्ठा		चिरानघन मीटर	लट्ठा		चिरानघन मीटर	लट्ठा		चिरानघन मीटर	
	सं0	घन मीटर		सं0	घन मीटर		सं0	घन मीटर		सं0	घन मीटर		सं0	घन मीटर		सं0	घन मीटर		

जमा करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं मोहर

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड राज्य की सीमा के भीतर वनोपज (खनिज को छोड़कर) के परागमन हेतु अनुज्ञा-पत्र

अनुसूची-"ग"

प्रपत्र-1

बुक संख्या-.. क्रमांक-..............................

.... वन प्रमण्डल.................................. वन क्षेत्र..................................

तिथि..

1. वन उत्पाद के स्वामी का नाम..

2. वन उत्पाद पारागमन के लिए प्राधिकृत
   व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर..

3. वन उत्पाद का विवरण:-
   (क) जाति..
   (ख) प्रकार............................
   (ग) मात्रा................................
   (घ) विवरण (काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/बोटे की माप
   (आवश्यकतानुसार पृष्ठ संलग्न) करे)

4. सम्पत्ति चिन्ह (काष्ठ के लिए)

5. पारागमन का स्थान:..................................
   (क) कहाँ से.. कहाँ तक..
   (ख) गंतव्य स्थान का पूरा पता:...
   (ग) मार्ग का विवरण:...

6. वाहन का प्रकार...पंजीयन संख्या-
   ....

7. अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि एवं समय ....

8. अनुज्ञा पत्र मान्य रहने की तिथि एवं समय.................................

9. वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्रांक.. दिनांक..................................
   जिसके द्वारा आदेश जारी किया गया ।

10. विभागीय पासिंग हथौड़े का चिन्ह जिससे काष्ठ पारित किया गया है:-.......................

तिथि....................

स्थान...........

हस्ताक्षर............................

नाम...............................

पदनाम..........................

अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं
पद नाम एवं हस्ताक्षर

नोट-बाँस, बेत, पट्टा, जलावन, छलटा आदि पर विभागीय पासिंग हैमर का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड राज्य की सीमा के बाहर वनोपज (खनिज को छोड़कर) के परागमन हेतु अनुज्ञा-पत्र

अनुसूची-"ग"

प्रपत्र-2

बुक संख्या-...................................... क्रमांक-..................................

....वन प्रमण्डल.................................. वन क्षेत्र..................................

तिथि..

1. वन उत्पाद के स्वामी का नाम...
2. वन उत्पाद पारागमन के लिए प्राधिकृत
   व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर...
3. वन उत्पाद का विवरण:-
   (क) जाति...
   (ख) प्रकार............................
   (ग) मात्रा...............................
   (घ) विवरण (काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/बोटे की माप
   (आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न करें)
4. सम्पत्ति चिन्ह (काष्ठ के लिए)
5. पारागमन का स्थान:.................................
   (क)कहाँ से...
   (ख) गंतव्य स्थान का पूरा पता:..
   (ग) मार्ग का विवरण:...
6. वाहन का प्रकार...पंजीयन संख्या-

....

7. अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि एवं समय ....
8. अनुज्ञा पत्र मान्य रहने की तिथि एवं समय..................................
9. वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्रांक... दिनांक...................................
   जिसके द्वारा आदेश जारी किया गया:-...
10. विभागीय पासिंग हथौड़े का चिन्ह जिससे काष्ठ पारित किया गया है:-.......................

तिथि....................

स्थान...........

हस्ताक्षर...........................

नाम................................

पदनाम.........................

अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम

एवं पद नाम एवं हस्ताक्षर

नोट-बाँस, बेत, पट्टा, जलावन, छलटा आदि पर विभागीय पासिंग हैमर का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

रैयती भूमि पर उगे वृक्षों से प्राप्त होने वाले वनोपज के लिये परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र

अनुसूची-"घ" प्रपत्र-1

1. आवेदक का नामः- दिनांक-
2. आवेदक के पिता/पति का नाम एवं पूरा पताः-
3. भूमि जिसपर, वनोपज अवस्थित है, का विवरण
   (क) ग्राम...
   (ख) थाना एवं थाना सं0...
   (ग) खाता एवं सर्वे प्लॉटसं0..
   (घ) लगान रसीद सं0..
4. आवेदित वनोपज का विवरण

क्रमांक	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई 1.7 मीटर (4.5 फीट) ऊँचाई पर काष्ठ का परिमाप	अभ्युक्ति

प्रमाण पत्र

मै...वल्द/जोजे .... ग्राम .... राजस्व थाना-..थाना सं0................................ पुलिस स्टेशन .... अंचल .... जिला .... यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपुर्यक्त अंकित वनोपज मेरी अपनी निजी रैयती जमीन पर अवस्थित है एवं यह वनोपज मेरी निजी संपत्ति है जिसे मै .... स्थान से .... स्थान तक निजी उपयोग/बिक्री हेतु परिवहन करना चाहता/चाहती हूँ।
(रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक-

कार्यालय अंचालाधिकारी-

ज्ञापांक- दिनांक-

आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन की जांच कर ली गई है। स्थल जांच के अनुसार आवेदित वनोपज आवेदक की निजी भूमि पर अवस्थित है। सभी वृक्षों पर राजस्व कार्यालय का सम्पत्ति चिन्ह का हथौड़ा जमीन से क्रमशः 15 से.मी. एवं 120 से. मी. की उचाई पर लगा दिया गया है। उसका नमूना पत्र में अंकित कर दिया गया है। **वृक्षों की मापी सूची संलग्न है।**

अंचलाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
मोहर सहित

सेवा में,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
........................प्रमण्डल।
....

479

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुसूची-"च"

प्रपत्र-1

खनिज के परिवहन हेतु आवेदन प्रपत्र

पत्रांक........................ दिनांक-

1. व्यक्ति/संस्थान/कम्पनी/एजेन्सी/लीज धारक/खनन क्षेत्र का नाम:

2. लीज धारक/खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण:

   (केवल लीज धारक/खनन क्षेत्र के लिये)

   (क) लीज /खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे0 में):

   (ख) लीज /खनन क्षेत्र में वनभूमि का क्षेत्रफल (डीम्डफॉरेस्ट सहित) हे0 में::

   (ग) लीज /खनन क्षेत्र में खनन पट्टे की अवधि:

3. लीज /खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति की विवरणी:

4. पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (मैट्रीक टन/घन मी0 में):

5. व्यक्ति/संस्थान/कम्पनी/एजेन्सी की पूर्ण विवरण:

6. संस्थान/कम्पनी/लीज /खनन क्षेत्र के लिए CTO की वैद्धता की तिथि

   एवं स्वीकृत खनन की मात्रा (मैट्रीक टन/घन मीटर में):

7. The Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining, Transportation And Storge) Rules 2017 के तहत्

   निबंधन संख्या एवं वैद्धता अवधिः

8. आवेदित खनिज की मात्रा जिसके लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र

   निर्गत किया जाना है (मैट्रीक टन/घन मीटर में):

9. परिवहन की अवधि:

10. परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के लिये

    प्राधिकृत किये जाने वाले व्यक्ति/पदाधिकारी

    का नाम, पता, मोबाईल संख्या तथा ID संख्या:

11. प्राधिकृत किये जाने वाले व्यक्ति का अभिप्रमाणित हस्ताक्षरः

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

मोहर सहित

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुसूची-"च"

प्रपत्र-2

खनिज के परिवहन हेतु निर्गत प्राधिकार पत्र

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

.... वन प्रमण्डल।

पत्रांक........................ दिनांक-

व्यक्ति/संस्थान/कम्पनी/एजेन्सी/लीज धारक/खनन क्षेत्र में प्राधिकृत व्यक्ति के पत्रांक-.................................. दिनांक-............. से प्राप्त आवेदन की जांचोपरान्त निम्नांकित स्थल/लीज/खनन क्षेत्र के लिए परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. लीज धारक/खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण:
2. लीज /खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे0):
3. लीज /खनन क्षेत्र में वनभूमि (डीम्ड फॉरेस्टसहित) का क्षेत्रफल (हे0):
4. व्यक्ति/संस्थान/कम्पनी/एजेन्सी का पूर्ण विवरण:
5. परिवहन हेतु आवेदित मात्रा (मेट्रिक टन में):
6. परिवहन हेतु स्वीकृत मात्रा (मे. टन में):
7. परिवहन की अवधि:
8. परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर:

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का

हस्ताक्षर नाम मोहर सहित

नोटः- लीज धारक/खनन क्षेत्र के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिमाह जारी किये परिवहन अनुज्ञा पत्र की कार्यालय प्रति तथा परिवहन किये गये खनिज के लिए नियमावली के नियम-6 के अनुसार अधिसूचित दर के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र शुल्क कोषागार में विहित प्रपत्र में विहित शीर्ष "मुख्य शीर्ष-0406-उप मुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन-लघु शीर्ष-112-सार्वजनिक उद्यान-04-अधिनियमों के तहत् शुल्क आदि की प्राप्ति" में जमा कर उसका प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(वनोपज (खनिज) के पारागमन हेतु अनुज्ञा पत्र)

अनुसूची-"च"

प्रपत्र-3

बुक संख्या......................... क्रमांक-

1. वन प्रमण्डल का नाम:
(जहाँ से खनिज का परिवहन किया जाना है) वन क्षेत्र का नाम:
2. स्थल/लीज /खनन क्षेत्र का नाम:
3. परिवहन किये जाने वाले खनिज का नामः
4. खनिज की मात्रा मेट्रिक टन में:
5.. पारागमन का स्थानः
(क) कहाँ से .... कहाँ तक..
(ख) गंतव्य स्थान का पूरा पता:
(ग) मार्ग का विवरण:
(घ) वाहन का प्रकारः.. पंजीयन संख्या-.........................
6. अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि:... एवं समय:
7. अनुज्ञा पत्र मान्य रहने की तिथि एवं समयः..

8. वन प्रमण्डल पदाधिकारी....................................... वन प्रमण्डल के पत्रांक............................. दिनांक........................... द्वारा.. को इस परिवहन अनुज्ञापत्र के विहित शुल्क भुगतान करने के पश्चात् निर्गत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

तिथि:

स्थान:

प्राधिकृत व्यक्ति/पदाधिकारी
का हस्ताक्षर, नाम मोहर सहित

Countersigned

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
.... वन प्रमण्डल।
का हस्ताक्षर एवं मोहर।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 314 -- 50

476

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 313 राँची, शुक्रवार, 12 आषाढ़, 1942 (श०) / 3 जुलाई, 2020 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

शुद्धिपत्र

2 जुलाई, 2020

संचिका संख्या-06/रा.व्या.-02/2020-1761/व0प0,-- विभागीय अधिसूचना संख्या-1715 दिनांक-29.06.2020 द्वारा गठित ***"झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 की अनुसूची-'क'"*** में अंकित ***"झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2000"*** के स्थान पर ***"झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020*** तथा ***"57 रूपये प्रति मेट्रिक टन"*** के स्थान पर ***"57 रूपये प्रति मिट्रिक टन"*** पढ़ा जाय।

2. उक्त वर्णित अधिसूचना की अनुसूची-'क' के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

एतद संबंधी पूर्व निर्गत अनुसूची-'क' को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
प्रधान सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 313 -- 50

475

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 312 राँची, शुक्रवार, 12 आषाढ़, 1942 (श०) / 3 जुलाई, 2020 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2020

अधि. संख्या-06/रा.व्या.-02/2020- 1714/व0प0,-- राज्य में ग्रामीणों को उनकी निजी भूमि पर टिंबर प्रजाति तथा फलदार पौधे लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। लगाए गए पेड़ों का स्वामित्व भी रैयतों के अधीन है। राज्य में कृषि वानिकी को बढ़वा देने के निमित्त निजी भूमि पर रोपित पौधों के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त कर देने से राज्य में कृषि वानिकी को बढ़वा मिलेगा। अतएव वनोंपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के नियम-4(ख) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कुल 19 (उन्नीस) प्रजाती के काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है:-

474

क्र0 सं0	काष्ठ/वृक्ष कानाम	प्रजाति का नाम
1	युकलिप्टस(सफेदा)	युकलिप्टस की सभी प्रजातियां
2	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
3	कैजूरिना	कैजूरिना इक्विजिटीफोलिया
4	महानीम(घुड़करंज)	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
5	बकैन	मेलिया अजाहिरेक्टा
6	कदम	एन्थोसेफेलस कदम्बा
7	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
8	सिल्वरओक	ग्रेवेलिया रोबस्टा
9	इजरायली बबूल	एकेशिया टॅारटिलिस
10	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
11	बबूल	अकेशिया टॅारटिलिस
12	पाम	पाम प्रजातियां
13	बेर	जिजीफस जुजुबा
14	शहतूत	मोरस अल्बा
15	अमरूद	साइडियम गुआवा
16	नीम्बू,संतरा, मौसम्बी	सिट्रस प्रजातियां
17	मुनगा	मोरिगा ऑलिफरा
18	अशोक	पालिएल्थिआ लांगीफोलिया, सराका असोका
19	बाँस	बाँस की प्रजातियां डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस (लाठीबाँस) को छोड़कर

(2) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2020 के मद संख्या 25 के रूप में स्वीकृत प्राप्त है।

(3) यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

ह0/-

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 312 -- 50